श्री शिवनारायण पिता बंशीलाल महाजन (बिड़ला) निवासी माण्डल तहसील माण्डल वगैरह

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 203 सन् 2020

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.2020	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई कि ग्राम माण्डल पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल के आराजी नं. 8045 व 8046 कुल किता 2 रकबा 03–16 बीघा भूमि प्रार्थीगण व उनकी बहनों शांता व जशोदा के नाम दर्ज है बहनों का निधन हो चुका है। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगणों की आराजियात का पूर्व दिशा में पड़ौसी है। जिसकी नीयत में फितुर आने से पूर्व दिशा के थोर एवं आराजियात में खड़े वृक्षों को काटकर नुकसान पहुँचाता रहता है तथा उपयोग–उपभोग में बाधा पहुँचाता हैं । अतः विपक्षीगणों को पाबंद करे कि वह प्रश्नगत आराजी में खड़े वृक्षों को नुकसान नहीं पहुँचाने तथा उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष का है। यदि विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थीगणों के अपनी आराजियात के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तो प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल के आराजी नं. 8045 व 8046 कुल किता 2 रकबा 03–16 बीघा भूमि में प्रार्थीगणों के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने नहीं करने बाबत् विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 24.11.2020 तक जारी की जाती है । रास्तों पर लागु नहीं । आदेश 39 नियम 3 की पालना हो। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करें। पत्रावली दिनांक 24.11.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
२५-११-२०	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित, वकील प्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजें दिलायी जाने के उपरान्त भी वकील प्रार्थीगण उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारन वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी / अदम पैरवी मे खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] मूल वाद पत्र के साथ सलं[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Mahipal Singh Date: 2020.12.09 11:47:57 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी	